कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला दुर्ग (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/ 1889 /अ.जि.म./2022 दुर्ग, दिनांक 04/01/2022

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के दिशा–निर्देश क्रमांक 567/स.सा.प्र.वि./2021 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.01.2022 के परिपालन में कोविड–19 एवं नये वेरिएण्ट ओमिक्रान के संक्रमण के बढती हुई रफ्तार को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144(1) एपिडेमिक एक्ट, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला दुर्ग में आम जनता के आवागमन एवं अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर आगामी आदेश पर्यन्त युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाता है:–

01. जिला दुर्ग राजस्व सीमा अंतर्गत किसी भी प्रकार के आयोजन, रैली, सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक एवं खेल–कुद आदि के वृहद आयोजन व जन समुदाय के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है।
02. जिले अंतर्गत सभी मॉल, होलसेल दुकानें, जिम, सिनेमाघर, पार्क, होटल, रेस्तरा, स्वीमिंगपूल, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेश, हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जावे।
03. जिला दुर्ग अंतर्गत सभी रेल्वे स्टेशनों पर बाहर से आने वाले यात्रियों को रेल्वे स्टेशन पहुंचने पर 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट/ RTPCR निगेटिव रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा अन्यथा स्टेशन पर ही कोरोना जांच हेतु सैम्पलिंग की जावेगी एवं रिपोर्ट आने तक संबंधित यात्रियों को कॉरंटाईन में रहना पडेगा। इसी प्रकार स्थानीय यात्रियों को बाहर यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन प्रवेश करने के 72 घंटे पूर्व की कोरोना टेस्ट/RTPCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। दुर्ग जिले के अंतर्गत सभी स्टेशन मास्टरों को रेल्वे स्टेशन पर यह सुनिश्चित करेंगे की रेल्वे स्टेशन में यात्रियों के आगमन एवं निर्गमन हेतु एक ही गेट की व्यवस्था रखेंगे जिसपर यात्रियों को कोरोना टेस्ट की सैम्पलिंग किया जा सकें।
04. दूसरे राज्यों से जिले मे प्रवेश करने वाले आगान्तुको को कोरोना वायरस की अत्यधिक संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सीमा–नाके पर रैण्डम जांच हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किया जावे।
05. विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र जिला कंट्रोल रूम एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक रूप से देंगे तथा इस संबंध में राज्य शासन स्वास्थ्य विभाग जारी कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
06. बैठकों के लिये विडियों कॉन्फ्रेसिंग सुविधा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।
07. समस्त दूकान संचालक एवं ग्राहक को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक रहेगा। उल्लंघन किये जाने पर नगरीय निकाय के अधिकारी पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करे।

उक्त आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

(कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
दुर्ग (छ.ग.)
4/1/22
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 1889 / अ.जि.म. / 2021 दुर्ग, दिनांक 04 / 01 / 2022

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग / भिलाई / भिलाई चरौदा / रिसाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सर्व इंसिडेन्ट कमान्डर, जिला दुर्ग को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सर्व तहसीलदार / कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. खाद्य नियंत्रक, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. उप संचालक जनसंपर्क, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. समस्त कार्यालय प्रमुख ------------------जिला दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
दुर्ग (छ.ग.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दुर्ग (छ.ग.)